कमांक: आर.2(21)17/भूआ/ दिनांक:– 7.7.2017

कार्यालय आदेश

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा एकलव्य मॉडल रेजिडेन्सियल स्कूल हेतु भूमि आंवटन की मांग करने पर उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार जमवारामगढ ने ग्राम माथासूला के खसरा नम्बर 1126 रकबा 91.85 हेक्टे. किस्म चरागाह में से 9.87 हेक्टे. भूमि आंवटन हेतु प्रस्तावित की गई है । आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि की किस्म चरागाह होने के कारण इसकी क्षतिपूर्ति हेतु खसरा नम्बर 538, 1026, 1123, 1229, 1241 में से 9.87 हेक्टे. सिवायचक लगाना भूमि को चरागाह में परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव जिला कार्यालय में भिजवाये गये हैं।

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा आवंटन हेतु चाही गई प्रस्तावित भूमि निर्धारित नोर्म्स से अधिक होने से आवंटन की शक्तियॉ राज्य सरकार में निहित होने के कारण प्रश्नगत भूमि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को एकलव्य मॉडल रेजिडेन्सियल स्कूल माथासूला तह0 जमवारामगढ को भवन निर्माण हेतु आवंटन किये जाने के संबंध में राज्य सरकार से राजकीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु मूल प्रकरण इस कार्यालय के पत्र कमांक 4903 दिनांक 25.5.2017 के द्वारा राज्य सरकार को भिजवाया गया।

संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–3)विभाग राज0 जयपुर के पत्र कमांक प.6 (37)राज–3/2017 दिनांक 4.7.2017 के द्वारा अवगत कराया है कि जनजाति कार्यालय मंत्रालय भारत सरकार की गाईड लाईन के अनुसार ग्राम माथासूला तह0 जमवारामगढ स्थित खसरा नम्बर 1126 किस्म चरागाह मेंसे 20 एकड भूमि की किस्म खारिज कर एकलव्य स्कूल निर्माण हेतु जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को राज0 भू राजस्व अधिनियम–1963 के नियम–7 के तहत् आवंटन करने एवं चरागाह की क्षतिपूर्ति हेतु खसरा नम्बर 538 रकबा 7.47 एकड खसरा नम्बर 1026 रकबा 4.13 एकड खसरा नम्बर 1123 रकबा 5.03 एकड, 1229 रकबा 3.53 एकड कुल किता–4 कुल रकवा 20.16 एकड भूमि को चरागाह में दर्ज किये जाने की राजकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः उक्त राजकीय स्वीकृति की अनुपालना में ग्राम माथासूला तह0 जमवारामगढ स्थित खसरा नम्बर 1126 किस्म चरागाह में से 20 एकड भूमि की किस्म खारिज कर राजस्थान भू राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 के नियम -7 के अंतर्गत जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को एकलव्य मॉडल रेजिडेन्सियल स्कूल माथासूला तह0 जमवारामगढ के भवन निर्माण के लिए निम्नांकित शर्तो पर आवंटन किया जाता है तथा चरागाह की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम माथासूला के खसरा नम्बर 538 रकबा 7.47 एकड, खसरा नम्बर 1026 रकबा 4.13 एकड, खसरा नम्बर 1123 रकबा 5.03 एकड, 1229 रकबा 3.53 एकड कुल किता–4 रकबा 20.16 एकड भूमि को चरागाह में परिवर्तित किया जाता है।

आवंटन शर्ते :–

1. यह आवंटन निःशुल्क होगा।
2. यह आवंटन 99 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है तथा 99 वर्ष के पश्चात् पुनरावलोकन कर यदि भूमि का उचित उपयोग होना पाया जावेगा एवं आवश्यकता समझी जावेगी तो आवंटन का नवीनीकरण किया जा सकेगा।
3. आवंटित भूमि का उपयोग एकलव्य मॉडल रेजिडेन्सियल स्कूल के भवन निर्माण हेतु किया जा सकेगा।

-2-

4. आवंटित भूमि राज्य सरकार में निहित होगी तथा आवंटिती को भूमि का रहन, दान, आदि करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
5. आवंटिती को इस आवंटन हेतु एक अंडरटेकिंग उपरोक्त सभी शर्तों को मानते हुए राज्य सरकार के हित में निष्पादित करना होगा।
6. उपरोक्त शर्तो का आवंटिती द्वारा किसी भी रूप मे पालना न करने अथवा शर्त भंग करने की सूरत में उक्त भूमि बिना प्रतिकार एवं दावे के राज्य सरकार को प्रवर्तित हो जावेगी।

(सिद्धार्थ महाजन)
जिला कलक्टर
जयपुर

आर.2(21)17/भूआ/ 7011-7019 दिनांकः- 7-7-2017

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. अति0 मुख्य सचिव महो0 राजस्व विभाग राज0 जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग राज0 जयपुर।
3. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर राज0 ।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर।
5. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ।
6. तहसीलदार तह0 जमवारामगढ को प्रेषित कर लेख है कि आवंटित भूमि का कब्जा आंवटी को सम्भलाकर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।
7. विकास अधिकारी पंचायत समिति जमवारामगढ।
8. सरपंच ग्राम पंचायत माथासूला पंचायत समिति जमवारामगढ।
9. आदेश/गार्ड पत्रावली।

7/7/17

(डॉ0 मोहन लाल यादव)
अति0 कलक्टर-प्रथम
प्रभारी अधिकारी(राजस्व)
कलेक्ट्रेट जयपुर

R-1494
11/7/17

11/7/17

R-654
13/7/17

कार्यालय तहसील जमवारामगढ (जयपुर)
दिनांक 8/7/17

तहसीलदार
जमवारामगढ (जयपुर)

CERTIFICATE OF LAND

File No. Date:

Certified that the land measuring 80900 Square meters (Area of land in Square meters) is owned by the एकलव्य मॉडल रेजिडेंसियल स्कूल माथासूला (Name of the Owner) by way of जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर (Sale Deed/Conveyance Deed/Gift Deed/ Allotment Letter etc. Allotment (In case of allotment of land, if it is not perpetual, periodicity of allotment to be mentioned from 7-7-2017 to 7-7-2116).

It is further certified that owner of the land has leased the said land to — (In case of lease /sub- lease only) — (Name of the School/Society/Trust/Company under Section 8 of companies Act, 2013) fully described in the schedule mentioned hereinafter with the following details for a period of — years from — to ______ .

SL	Particulars	Details
1.	Plot No. (s)/ Survey No. (s)/Khasra No. (s)/Khata No.(s)/Khatauni No.(s)	1339/1126 / 571
2.	Name of street/village, Sub Division, District and State	Mathasool, JamwaRamgarh Jaipur, Rajasthan

It is certified that the said entire land comprise of a single contiguous plot of land. It is further certified that एकलव्य मॉडल रेजिडेंसियल स्कूल माथासूला (Name of the School with name of street, village, sub-division and district) run by name of Trust (Society / Trust / Company under Section 8 of companies Act, 2013) is located on the said plot of land.

THE SCHEDULED OF LAND ABOVE REFERRED TO

All that piece and parcel of land measuring 80900 square meters (area of land in square meters) situated in 1339/1126 [Plot No. (s)/Survey No.(s)/ Khasra No. (s)] at Mathasool (name of street/village, sub division, district and state) and bounded as follows:

North : Khasra No. - 1221, 1228/1253

East : Khasra N:- 1229/1254

West : Khasra N:- 1362/1126

South : सीमा ग्राम रामपुरावास आमेर

DM/ ADM/ SDM/ TEHSILDAR/ NAIB TEHSILDAR/ REGISTRAR/ SUB- REGISTRAR/EQUIVALENT LAND AUTHORITY

Kaluram
16/03/26
कालूराम मीना
पटवारी माथासूला
तहसील-आँधी(जयपुर)

तहसीलदार (भू.अ.)
तहसील आँधी (जयपुर)

(Stamp and Signature of the land authority)

(Name of Officer)

(Name of District)

* The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.

राजस्थान सरकार **NIC-BHUNAKSHA**

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 16/03/2026 05:14:00 PM

जिला : जयपुर तहसील : आंधी भू. अ. नि. क्षेत्र : रायसर

पटवारी हल्का : माथासूला ग्राम : मातासूला

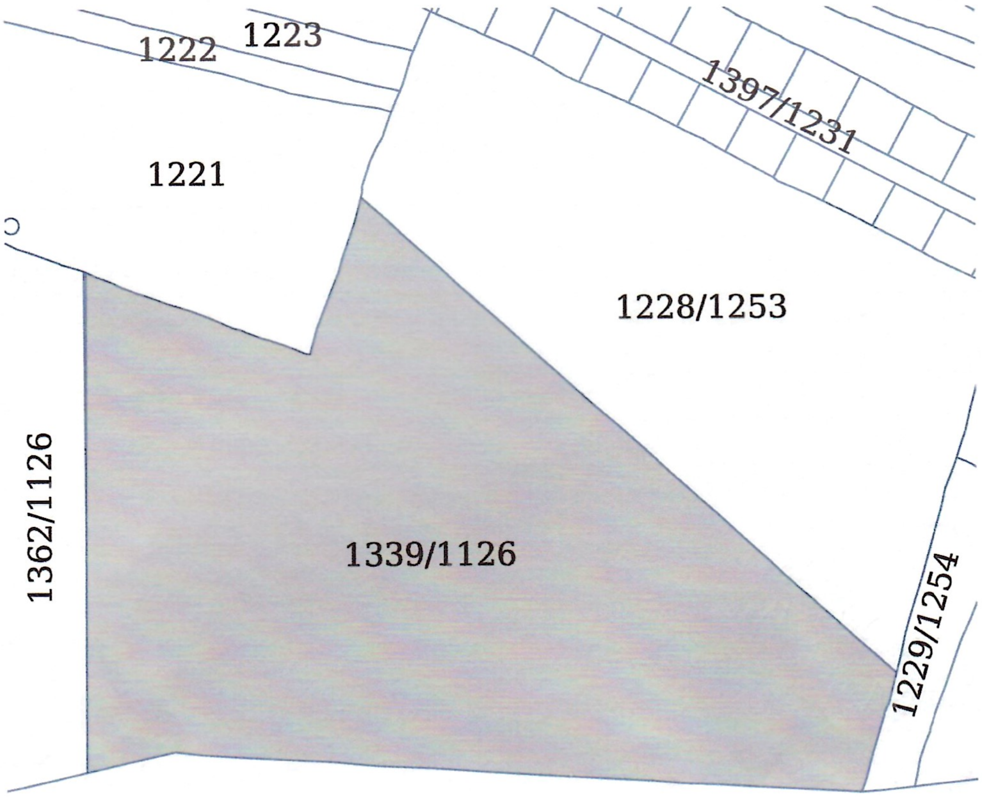

Scale 1:4000

खसरा संख्या :1339/1126 क्षेत्रफल : 8.0900 Hectare खाता संख्या : 571पुराना खाता संख्या :555

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: गै.मु.स्कूल [8.0900]

1.) एकलव्य मॉडल रेजिडेन्सियल स्कूल माथासूला जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर हिस्सा- पूर्ण सा.देह संस्था के लिए

16/03/26

कालूराम मीना
पटवारी माथासूला
तहसील–आँधी(जयपुर)

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

जमाबन्दी
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- मातासूला
पटवार हल्का :- माथासूला
भू.अभि.नि. :- रायसर
तहसील :- आंधी
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2073-2076 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 571
खाता संख्या पुराना :- 555

काश्तकार का नाम:-

1. एकलव्य मॉडल रेजिडेम्सियल स्कूल माथासूला जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर हिस्सा- पूर्ण सा.देह संस्था के लिए,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1339/1126	8.0900	गै.मु.स्कूल	8.0900	0.00			
कुल खसरे - 1	8.0900		8.0900	0.0000			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है |
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है |
नकल जारी करने की तिथि :- 16-Mar-2026

NIC

Kaluram
16/03/26
कालूराम मीना
पटवारी माथासूला
तहसील-आँधी(जयपुर)